

30/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थनी अनु०।  
न्यायालय समय में वकील प्रार्थनी को रक-  
रक कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई  
उप० नहीं भाया। अतः प्रार्थनी का आविहन  
अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया  
जाता है। मतः पत्रावली जैसल सुमार होकर  
वाचिब दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

